आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

10.06.2019

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 08/16–17
अन्नु मंडल वगै0
बनाम
गोपाल मंडल वगै0
आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदन आवेदक अन्नु मंडल, पिता– स्व0 सहदेव मंडल, सा0– नौगच्छी, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 399/2015–16 में दिनांक 29.06.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षंति आवेदन दाखिल की गयी है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 23.01.2017 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी:–

मौजा	खाता सं0	दाग सं0	रकवा
बोल्दा	95/1/5	17	00–01–17
		16	00–01–00

अपीलार्थी अनुपस्थित। उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई है। फलस्वरूप उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा बोल्दा के जमाबंदी नं0– 95/1/5 दाग नं0– 17 रकवा 01 कट्ठा 17 धूर एवं दाग नं0– 16, रकवा 01 कट्ठा कुल रकवा 02 कट्ठा 17 धूर जमीन के संबंध में उत्तरवादी के द्वारा वर्ष 2015 में नामांतरण वाद दायर किया गया था। उक्त नामांतरण वाद के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2015 में उल्लेख केवाला सं0 3701, दिनांक 30.07.2014 में विक्रेता का नाम अंकित नहीं है साथ ही 1927 ई0 के खतियान में जंगली मंडल दीगर का नाम दर्ज है, परन्तु न तो वंशावली का उल्लेख है और न ही अंचल निरीक्षक का कोई मन्तव्य है। उनके द्वारा सूचित किया गया कि उक्त नामांतरण में 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है। साथ ही एन्टी डेटेड है। मौजा बोल्दा नं0– 66, जमाबंदी नं0– 95/1/5 के दाग नं0 17 का रकवा 05 कट्ठा 09 धूर तथा उक्त मौजा के जमाबंदी नं0– 95/1 के दाग नं0– 16 का रकवा 03 कट्ठा कुल रकवा 08 कट्ठा 09 धूर जमीन खतियान में जंगली मंडल, बोढन मंडल तथा टहल उर्फ ढक्कन मंडल तीनों के पिता– टुभू मंडल का नाम दर्ज है। जंगली मंडल व बोढन मंडल के नावल्द मृत हो जाने के फलस्वरूप उपरोक्त कुल रकवा 08 कट्ठा 09 धूर जमीन का एक मात्र वारिस ढक्कन मंडल हुए। ढक्कन मंडल के तीनों पुत्र यथा शिवलाल मंडल, मोतीलाल मंडल एवं सीताराम मंडल को कुल रकवा 08 कट्ठा

Scanned with CamScanner

09 धूर जमीन का एक तिहाई हिस्सा अर्थात 02 कट्ठा 16¼ धूर जमीन प्राप्त हुआ। उक्त तीनों के पुत्रगण/वंशज उक्त भूमि पर अपना मकान बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से रहते आ रहे हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उत्तरवादीगण के पिता सीताराम मंडल ने छल, बेईमानी व धोखेबाजी की नीयत से कुल रकवा 02 कट्ठा 17 धूर जमीन का रजिस्ट्री दस्तावेज सं0 370/2014 दिनांक 30.07.2014 के द्वारा अपने पुत्रों के पक्ष में बिक्रीनामा दस्तावेज बना देते हैं। जबकि सीताराम मंडल अपने अंशवाली जमीन अर्थात 02 कट्ठा 16¼ धूर जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि सीताराम मंडल जो अपने पुत्रगणों का बिक्रीनामा दस्तावेज बनवाए है वह जमीन शिवलाल मंडल के अंशवाली जमीन है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि खतियानी रैयत के वंशज शिवलाल मंडल की एकलौती पुत्री तिलिया देवी के पुत्रगण राजु कुमार मंडल, राजकुमार मंडल एवं अमिताभ मंडल उर्फ बच्चा मंडल ने रजिस्ट्री सं0 क्रमशः 4106/2015, दिनांक 17.07.2015 के द्वारा प्रथम अपीलार्थी अन्नु मंडल, पिता– स्व0 सहदेव मंडल, सा0– नौगच्छी मौजा बोल्दा दाग नं0– 16 का रकवा 18 धूर 06½ धूरकी, दस्तावेज सं0 4107/15 दिनांक 17.05.2017 के द्वारा द्वितीय अपीलार्थी जोतिन मंडल पिता– स्व0 सहदेव मंडल, सा0– नौगच्छी को मौजा बोल्दा, दाग नं0– 16 एवं 17 में रकवा 19 धूर तथा 4108/2015 दिनांक 17.07.2015 के द्वारा तृतीय अपीलार्थी विश्वानाथ मंडल, पिता– स्व0 झकसा मंडल, सा0– नौगच्छी को मौजा बोल्दा के दाग नं0– 16 एवं 17 में रकवा 19 धूर जमीन खरीद चुके हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अंत में कहना है कि जब उत्तरवादी के पिता के पैतृक हिस्से की कुल जमीन पर उनके ही वारिशान का मकान बना हुआ है तो फिर किस हैसियत से नामांतरण वाद सं0 399/2015–16 में दाग नं0– 16 एवं 17 में 02 कट्ठा 17 धूर जमीन का दाखिल खारिज करवा लिये है वो भी बिना 16 आना रैयतों के नोटिस के ही, यह प्राकृतिन्याय के खिलाफ है।

अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी के नामांतरण अपील वाद सं0 399/2015–16 में पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किया गया है।

आज उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न तो लिखित वहस दाखिल किया गया और न ही सूचीवद्ध कागजात।

अंचल अधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। उक्त प्रतिवेदन में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदित जमीन रैयती है। आवेदकगणों ने जमावंदी रैयत के पुत्र से केवाला सं0 3701, दिनांक 30.07.2014 के द्वारा खरीदकर शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है।

प्रस्तावित भूमि भू–दान, भूहददेवी, आम खास, वासगीत पर्चा,

Scanned with CamScanner

देशीयात्रा एवं रेलवे बी0 क्लास से मुक्त है। वर्ष 1927 के खतियान में जंगली मंडल दीगर के नाम से दर्ज है। दाग नं0– 16 एवं 17 श्रेणी वास्तु–सह–आंगन वो बाडी आवल कहकर दर्ज है। फलस्वरूप नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जिसपर अंचल निरीक्षक की भी अनुशंसा है।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नामांतरण अपील वाद सं0 399/2015–16 दिनांक 29.06.2015 से संबंधित पंजी 7/27/16 आना रैयत को निर्गत नोटिश तीन दिनों के अन्दर न्यायालय में पेश करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

पत्रां० 72/उ०स०
दि० 7.8.19

Scanned with CamScanner